न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 73/2022

GCMS NO. : 2022/167

-: वादी :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

1. हाथीराम पुत्र कुनाराम जाति माली निवासी- आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0

1. तहसीलदार जैतारण जिला- पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.05/05/2022

उपस्थितः- 1. श्री तुलछाराम माली, श्री गौतम गहलोत, अधिवक्ता वादी।

2. तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार राज0।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 28/07/2022

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं 136 भू राजस्व अधिनियम 1956. के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा आ. कालू चक नम्बर 1 पटवार हल्का आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे वादी एवं अन्य खातेदारांन् की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 690 रकबा 1.7887 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 773 खसरा नम्बर 690/1 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.8049 हैक्टयर आई हुई है। उक्त भूमि मे माफिक राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज होकर कब्जा काश्त करता आ रहा रहा है। बादी के पिता कुना पुत्र काना का देहान्त दिनांक 29/01/2006 को हो चुका है। उक्त भूमि वादी के पिता कुनाराम को उनके भाईयो से आपसी पारिवारिक बंटवाडा दिनांक 20/05/1979 के जरिये म्युटेशन संख्या 728 दिनांक 08/07/1979 से स्वीकृत होकर प्राप्त हुई। वादी के पिता कुना के नाम म्युटेशन संख्या 728 दिनांक 08/07/1979 को तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी एवं सरपंच ग्राम पंचायत आ.कालू ने स्वीकृत किया तब वादी के पिता कुना का नाम कुना पुत्र काना इन्द्राज नही कर पूना पुत्र काना इन्द्राज कर दिया जो गलत है तथा उक्त म्युटेशन के आधार पर बाद की बनी उक्त खसरा संख्या 690 व 690/1 की जमाबन्दी के अनुसार संवत 2037 से 2040 से वर्तमान जमाबन्दी तक वादी के पिता का नाम पुना चला आ रहा है जो गलत है जबकि उसके स्थान पर कुना पुत्र काना संशोधन जाना आवश्यक है। उपरोक्त म्यूटेशन को दावे का एक भाग माना जावे। वादी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे [illegible] काना दर्ज रहने से वादी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जा[illegible] सकता, न ही कृषि भूमि पर बैंक से ऋण के.सी.सी [illegible] है। वादी के [illegible]धिकार दिन प्रतिदिन प्रभावित हो रहे है। वादी के पिता कुना [illegible] काना की मृत्यु [illegible] से दिनांक 27/05/2006 को रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु ग्राम पंचायत आ. कालू रजिस्ट्रार द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरण संख्या 728 पटवार हल्का आ. कालू चक नम्बर एक नकल जमाबन्दी संवत 2025 से 2028, 2033 से 2036, 2037 से 2040, 2042 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

2045, 2046 से 2049, 2050 से 2053 एवं चालु जमाबन्दी खसरा संख्या 690 व 690/1 की। नकल जमाबन्दी संवत 2037 से 2040, 2042 से 2045, 2046 से 2049, 2050 से 2053 एवं चालू जमाबन्दी खसरा संख्या 583, 585, 588, 590, 592, 593, 595/2, 595/4, 586, 594, 580, 579 वादी के परिवार का राशन कार्ड, वादी के नाम का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, वादी का आधार कार्ड, वादी को भारतीय स्टेट बैंक शाखा आ.कालू द्वारा जारी ऋण चुकता प्रमाण पत्र, वादी की माता सेणीदेवी के परिवार का राशन कार्ड, सेणीदेवी का भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, सेणीदेवी का आधार कार्ड, जिनमे वादी के पिता के रूप मे कुनाराम का नाम दर्शाया हुआ है। जिससे भी स्पष्ट है कि वादी के पिता का नाम पुना पुत्र काना नहीं होकर कुना पुत्र काना ही है। वादी ने अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड मे संशोधन करवाने एवं दर्ज करवाने बाबत् एक प्रार्थनापत्र दिनांक 11/04/2022 को प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होने राजस्व रेकर्ड मे वादी के पिता का सही नाम कुना पुत्र काना इन्द्राज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया व उक्त नाम दर्ज करवाने के लिये घोषणा बाबत् वाद सक्षम न्यायालय मे करने को कहा तब वादी ने अपने पिता का नाम कुना पुत्र काना उक्त खसरा नम्बर के राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतू घोषणा का वाद विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। उपरोक्त दस्तावेजात को दावे का एक भाग माना जावे। वादपत्र मे वर्णित कृषि भूमि पर वादी माफिक हिस्से अनुसार काबिज है एवं काश्त कर रहा है। वादी के पिता का नाम कुना पुत्र काना दर्ज नहीं होता है तो वादी अपने हक अधिकारो से महरूम होगा एवं असीम क्षति होगी। इसलिए उक्त नाम संशोधित कर कुना पुत्र काना दर्ज किया जाना आवश्यक है। इस कारण यह वादपत्र घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादी के पेश है। बिनाय वाद दिनांक 11/04/2022 को वादी ने अपने पिता का नाम संशोधन करवाने बाबत् प्रार्थनापत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्होने वादी के पिता क सही व वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कुना पुत्र काना राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया एवं सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करने को कहा तब बमुकाम आ.कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज. मे पैदा हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से यह वादपत्र अन्दर मियाद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने हस्तगत प्रकारण में तथ्यात्मक वस्तुस्थिति फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये यह कथन किया है वादपत्र का पैरा संख्या 01 राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित है। वादपत्र के पैरा संख्या 02 का जवाब है कि नामान्तरण संख्या 728 दिनांक 08.07.1979 के जरिए भंवरू पुना जीवण पि. काना वगैरह दर्ज हुआ। वादपत्र के पैरा संख्या 03 का जवाब है कि वादी के पिता का नाम पारिवारिक बंटवाड़ा के आधार पर दर्ज किया गया है। वादपत्र के बिन्दू संख्या 04 से 09 कानूनी बिन्दू है। वादपत्र के पैरा संख्या [illegible] जवाब है कि संलग्न मौका फर्द दिनांक 15.07.2022 के अनुसार वादी के पिता [illegible] कुनाराम पुत्र कानाराम है तथा पुना पुत्र काना नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। बहस विद्वान वकील प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

1. वादी द्वारा हस्तगत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की ग्राम आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 690 रकबा 1.7887 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 773 ख़सरा नम्बर 690/1 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.8049 हैक्टयर में बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादी के पिता कुनाराम को उनके भाइयों से आपसी पारिवारिक बंटवाड़े से दिनांक 20.05.1979 को जरिये म्युटेशन संख्या 728 दिनांक 08.07.1979 को प्राप्त हुई लेकिन रेवेन्यू एजेन्सी एवं सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू द्वारा म्युटेशन स्वीकृत करते समय वादी के पिता का नाम कुना पुत्र काना इन्द्राज करने के स्थान पर पूना पुत्र काना कर दिया जो कि रोन्ग एन्ट्री है तथा उक्त म्युटेशन के आधार पर बनी खसरा नम्बर 690 व 690/1 की जमाबन्दीयों के अनुसार संवत् 2037 से 2040 के बाद से वर्तमान तक की जमाबन्दीयों में वादी के पिता का नाम पुना चला आ रहा हैं जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम कुना पुत्र काना है। अतः राजस्व रेकर्ड में दंर्ज रोंग एन्ट्री/मानवीय भूल को दुरूस्त कर वादी के पिता का सही, वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम कुना पुत्र काना दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. प्रतिवादी तहसीलदार जैतारण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता का नाम पारिवारिक बंटवाड़ा के आधार पर दर्ज किया गया। तथा वादी के पिता का सही नाम कुनाराम पुत्र कानाराम है तथा पुना पुत्र काना नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

3. वादग्रस्त आराजी की प्रदर्श 1 नामान्तरण पंजिका ग्राम आ0कालू दिनांक 08.07.1979 को स्वीकृत नामान्तरण संख्या 728 में जरिये आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा भंवरू, पुना, जीवण पुत्र काना दर्ज किया गया। प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2033 से 2036, प्रदर्श 3 जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040, प्रदर्श– 4 जमाबंदी सम्वत् 2042 से 2045, प्रदर्श– 5 जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 प्रदर्श– 6 जमाबन्दी सम्वत् 2050 से 2053, प्रदर्श–7 व प्रदर्श–8 जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में वादी के पिता का नाम पुना पुत्र काना बतौर सहखातेदार दर्ज हैं तथा वर्तमान जमाबंदी में भी वादी के पिता का नाम पुना पुत्र काना दर्ज है तथा वादी के पिता की अन्य आराजी के खसरान प्रदर्श–9 ग्राम आ0कालू प्रथम की जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040, प्रदर्श–10 जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2040, प्रदर्श– 11 ग्राम लिलरिया की जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 2045, जमाबन्दीयां प्रदर्श– 12 से प्रदर्श– 16 में वादी के पिता का नाम कुना पुत्र काना दर्ज हैं तथा जमाबन्दीयां प्रदर्श 17 से 19 में वादी हाथीराम कुना पुत्र काना के वारिसान के रूप में बतौर सहखातेदार दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श– 20ए वादी के पिता कुनाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 21ए वादी का परिवार राशन कार्ड, प्रदर्श 22ए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, प्रदर्श 23ए वादी का आधार कार्ड, में हाथीराम पुत्र कुनाराम दर्ज है। वादी द्वारा साक्ष्य वादी में वादी हाथीराम पुत्र कुनाराम जाति माली निवासी आ0कालू द्वारा शपथ पत्र पी.डब्ल्यु. 1 पर वादपत्र में अंकित कथनो एवं वांछित अनुतोष का समर्थन किया है। भू अभिलेख निरीक्षक आनन्दपुर कालू, व तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार वादी के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

का सही एवं वास्तविक नाम कुनाराम पुत्र कानाराम है तथा भू राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम पुना पुत्र काना एक त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि है।

अतः हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कुनाराम एवं उनके भाईयों द्वारा आपसी पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार ग्राम पंचायत आ0कालू एवं तत्कालिन रेवेन्यू कार्मिकों द्वारा स्वीकृत नामान्तरण के दौरान सहवन से वादी के पिता कुना पुत्र काना के स्थान पर पुना पुत्र काना के नाम से नामान्तरण स्वीकृत कर दिया गया, जो कि गलत एवं अशुद्ध प्रविष्टि है, जबकि वादी के पिता का सही एवं वास्तविक नाम कुनाराम पुत्र कानाराम है, अतः भू अभिलेख में दर्ज वादी के पिता के नाम की प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध होने से इसे विलोपित कर वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पिता का सही एवं वास्तविक दस्तावेजी नाम कुनाराम पुत्र कानाराम दर्ज करते हुए अन्य प्रविष्ठियां यथावत् रखते हुए वादी के पिता को खातेदार अभिधारी घोषित कर वाद को डिक्री किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आ. कालू चक नम्बर 1 पटवार हल्का आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 के खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 690 रकबा 1.7887 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 773 खसरा नम्बर 690/1 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.8049 हैक्टयर में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता कुनाराम पुत्र कानाराम के नाम त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"पुना पुत्र काना"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"कुनाराम पुत्र कानाराम"*** दर्ज करते हुये वादी के पिता को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि भू अभिलेख को उपरोक्तानुसार अद्यतन किया जाकर मृतक खातेदार कुनाराम पुत्र कानाराम के विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण की कार्यवाही करें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादी :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. हाथीराम पुत्र कुंनाराम जाति माली निवासी– आनन्दपुर कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज०

1. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 मु०न० :रा०वा०स०:– 73/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू .....–..... व हाजरी श्री तुलछाराम माली व श्री गौतम गहलोत, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व तहसीलदार जैतारण सरकारी पैराकार प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–वादी अंतर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बख़ूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आ. कालू चक नम्बर 1 पटवार हल्का आ. कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज० के खाता संख्या 312 खसरा नम्बर 690 रकबा 1.7887 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खाता संख्या 773 खसरा नम्बर 690/1 रकबा 0.0162 हैक्टयर किस्म गै.मु. बेरा कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.8049 हैक्टयर में बतौर खातेदार दर्ज वादी के पिता कुनाराम पुत्र कानाराम के नाम त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध नाम की प्रविष्टि ***"पुना पुत्र काना"*** को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम ***"कुनाराम पुत्र कानाराम"*** दर्ज करते हुये वादी के पिता को खातेदार अभिधारी घोषित किया जाता है तथा अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 28/07/2022 को जारी किया गया।

माफिक

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (जिला–पाली)

पदेन सहायक कलेक्टर जैतारण जिला पाली

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	/		महनताना वकील		/
महनताना वकील	/		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	05	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	/		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	/		मुत्फरिक		
मिजानः–	08	00	मिजानः–	—Nil—	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:44:51 IST
Reason: SelfAttested